संख्या– 240 /15–11–2016

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उपसचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊः दिनांकः 20 अप्रैल, 2016

विषयः राफिया कालेज आफ एजूकेशन, बिसौली रोड, सहसवान, बदायूं को बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम हेतु अल्पसंख्यक संस्था माने जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या राशै0/नि0शि0सं0/34196/2015–16, दिनांक 12.10.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राफिया कालेज आफ एजूकेशन, बिसौली रोड, सहसवान, बदायूं को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम–2004 की धारा–2(जी) के तहत अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने विषयक निर्गत प्रमाण–पत्र दिनांक 06.05.2013 के अनुक्रम में प्रश्नगत संस्थान राफिया कालेज आफ एजूकेशन, बिसौली रोड, सहसवान, बदायूं को बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अल्पसंख्यक संस्था माने जाने (ट्रीट करने) का निर्णय लिया गया है।

कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उपसचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बदायूं।
3– सचिव/प्रबन्धक, राफिया कालेज आफ एजूकेशन, बिसौली रोड, सहसवान, बदायूं।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

30/09/16

(राजेन्द्र सिंह)
उपसचिव।